



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 114-2026/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026
(7 श्रावण, 1948 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2026 (2026 का 24) (केवल हिन्दी में)	217
भाग-II	अध्यादेश	
	1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का 2)	15
	2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का 3)	17
	3. हरियाणा ग्राम शामिलता भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का 4)। (केवल हिन्दी में)	19
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग-IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जुलाई, 2026

संख्या लैज. 25/2026.— दि हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्ज़ ऐन्ड गेस्ट लेक्चरर्ज़ (सिक्वोरिटी ऑफ सर्विस) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2026 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 जुलाई, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24**हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक****(सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2026****हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक****(सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024****को आगे संशोधित****करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) में, “30 जून, 2023 को या से पूर्व” अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, “21 जुलाई, 2025 को या से पूर्व” अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 2 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में, “एक कैलेण्डर वर्ष में” शब्दों के स्थान पर, “एक वर्ष की संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 3 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 “4. पारिश्रमिक.— (1) पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, 57,700/—रुपए (केवल सत्तावन हजार और सात सौ रुपए) का समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा।
 (2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि के तत्समान प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।
 (3) सरकार, अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम वर्ष पूरा होने पर और उसके बाद प्रतिवर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि अधिसूचित कर सकती है।”। 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 4 का प्रतिस्थापन।
5. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
 “4. ऐसी नीति, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता लाभ या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति।”। 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की अनुसूची का संशोधन।

अमरजीत सिंह,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।